न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(62)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1278/पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.01.2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त भोपाल प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/15-16.

कुरवाई एजुकेशन सोसायटी
द्वारा डॉ. जफर मेहंदी
निवासी ए 108, अलकापुरी, हबीबगंज, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

मोहम्मद शोएब सिद्धीकी
निवासी 57, न्यू मीनाल जे.के. रोड, भोपाल .....अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन. कोचर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त भोपाल द्वारा पारित दिनांक 07.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने ग्राम पीपलनेर की खसरा क्र. 133/3/2 रकबा 1.23 एकड़ भूमि के सीमांकन के लिये दिनांक 10.02.2016 को कलेक्टर के समक्ष सीमांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा भू-अभिलेख अधीक्षक को कलेक्टर द्वारा सीमांकन के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें कई बार सीमांकन की दिनांक बढ़ाये जाने के बाद दिनांक 07.01.2017 को आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया। सीमांनक आदेश की प्रति व जानकारी न देने व नस्ती की जानकारी ना देने के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो कि प्रकरण क्रमांक 777/पीबीआर/2017 के द्वारा दिनांक

01.03.2017 को कलेक्टर के माध्यम से दस्तावेज प्रदाय कराने के निर्देश कलेक्टर को दिये गये। इसके बाद दिनांक 06.04.2017 को नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 2004.2017 को नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई और आवेदक के विरूद्ध 250 की अवैधानिक रूप से विधि विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई। सिविल न्यायालय के आदेश के बाद में 250 की कार्यवाही का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि सीमांकन उपरांत सम्पूर्ण भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा बताया गया है, तो इस स्थिति में अनावेदक कृषि कहां कर रहा था, इस बिंदु को सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया जाना चाहिए था।

(2) आवेदक द्वारा सीमांकन पर आपत्ति की गई कि सिविल न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में 03.01.2017 को स्थगन आदेश दिया गया, इसके बाद भी दिनांक 07.01.2017 को सीमांकन की कार्यवाही की गई तथा इस आपत्ति का कोई निराकरण किए बिना ही सीमांकन किया गया, जो निरस्ती योग्य है।

(3) विवादित भूमि के संबंध में अपील अपर आयुक्त के समक्ष चल रही है और सिविल न्यायालय में भी स्वत्व संबंधी वाद चल रहा है, इसके बाद भी सीमांकन की कार्यवाही की गई, जो निरस्ती योग्य है।

(4) सीमांकन की कार्यवाही करने के पूर्व ना तो आवेदक को नोटिस तामील कराया गया और ना ही आवेदक के सीमांकन प्रतिवेदन पर कोई हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही पीठ पीछे की गई है, जो निरस्ती योग्य है।

(5) सीमांकन उपरांत ना तो स्पष्ट पंचनामा बनाया गया और ना ही फील्ड बुक बनाई गई तथा पंचनामा प्रतिवेदन पर भी आवेदक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में सीमांकन त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

(6) सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध व शून्य है। फर्जीनामा व हस्ताक्षर कर छल कपट किया गया जो आपराधिक कृत्य की शैली में आता है। आपराधिक प्रकरण व सम्पूर्ण जांच कराने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

(7) नामांतरण की कार्यवाही की अपील आयुक्त के समक्ष लंबित है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक का तर्क है कि आवेदक को नोटिस तामील नहीं कराया गया था, उक्त के संबंध में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को विधिवत नोटिस तामील कराया गया था तथा उसके प्रतिनिधि सीमांकन में उपस्थित थे। सिविल न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 03.01.2017 को कब्जे पर स्थगन दिया गया है, सीमांकन पर नहीं। आवेदक द्वारा अपने तर्क में यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसका प्रश्नाधीन संपूर्ण भूमि पर कब्जा है, फिर सीमांकन जिसमें भी यही पाया गया है, में क्या त्रुटि है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही विधिवत होने से उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर